

v

18.12.25

फावली पेश हुई। ककील वादी या वादिया
संप उपस्थित नहीं बार-बार मागज लगाने पर
भी उपस्थित नहीं हुए। अल वादिया का पद बाद
पर अदम पैरवी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। फावली बाद तरतीब
तकमील होकर मागिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय में

सुनाया गया।

v

(प्रिया बजाज)
RAS